I-5647

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रूपये

सत्यमेव जयते

APR 2007

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1

336594

विक्रय-पत्र

बैनामा अंकन 30,60,000/- रूपये। स्टाम्प अंकन 2,45,000/- रूपये।

<u>विवरण विक्रय सम्पत्तिः</u>- कृषि भूमिधरी के आकार पत्र 23 के अनुसार चक नं0 106 खेत नं0 446/1 रकबा 1-1-0 पुख्ता व खेत नं0 446/2 रकबा 1-9-0 पुख्ता व खेत नं0 447/1 रकबा 0-10-0 पुख्ता व खेत नं0 447/2 रकबा 4-15-0 पुख्ता व खेत नं0 447/3 रकबा 0-15-0 पुख्ता कुल 5 खेत रकबई 8-10-0 पुख्ता लगानी रूपये 68=65 पैसे सालाना का 1/4 भाग सम्पूर्ण अपना बकदर 2-2-10 पुख्ता जिसे मैंने बैनामा द्वारा क्रय किया था, जिसको बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर।

अर्चना रानी

क्रम सं0 .... में दाखिल किया गया
उप रोकड़िया

द्वारा गीताराम त्यागी

[illegible] 30600000/- .... फीस रजि. 52000/- ....
उजरत 20/- .... योग 52020/- .... शब्द लगभग 600
.... अर्चना रानी ....
[illegible] अनिल्द्र [illegible] पेशा गृहकार्य ....
निवासी .... [illegible] रोड दादरी ....
ने कार्यालय सब रजिस्ट्रार दादरी जिला
गौतम बुद्ध नगर में आज दिनांक 11/5/07
समय मध्य 2 व 4 बजे प्रस्तुत किया।

सब रजिस्ट्रार दादरी

अर्चना रानी 11/5/07

इस लेखपत्र का संपादन एवं इसमें लिखे
जरेबदल मु० 30600000/- [illegible]
जिसमें से .... श्री [illegible] अर्चना रानी [illegible]
नकद मेरे समक्ष पाकर उक्त [illegible]
.... श्री [illegible] [illegible]
उक्त ने व [illegible] श्री [illegible]
[illegible] 1202 [illegible] 10 [illegible] कस्तूरबा गांधी मार्ग
दिल्ली द्वारा गीता राम त्यागी S/o श्री दाता राम त्यागी R/o
K.L. 57 कवि नगर [illegible] [illegible] किया।

सब रजिस्ट्रार

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

Photo Attested

M. C. SHARMA, NOTARY

2

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

336595

विक्रेता एवम् क्रेता दोनों अनुसूचित जाति एवं जनजाति से नहीं है।

विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे व भूदान पट्टे आदि की नहीं है। संक्रमणीय भूमिधरी दर्ज है।

विक्रीत भूमिधरी भूमि जिसका सर्किल रेट 16,00,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर का है। किन्तु क्रेता द्वारा सर्किल रेट से अधिक पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

विक्रीत भूमि किसी जी0टी0रोड, राज्य रोड अथवा लिंक रोड पर स्थित नहीं है

विक्रीत भूमि की बाबत क्रेता व विक्रेता दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा माहदा वय पंजीकृत नहीं हुआ है।

अर्चना शर्मा

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

- 7 APR 2007

स्टाम्प नं0 15 रू0 25 ...
रजिस्टर नं0 14 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

श्री/श्रीमती ... संतराम
पुत्र श्री ... सुखबीर ... खेती
निवासी ... वासी मकबलपुर? तह दादरी
व श्री ... हरि ओम
पुत्र श्री ... ओमप्रकाश ... खेती
निवासी ... डोंगलपुर? तह दादरी
मेंढी ...

सब रजिस्ट्रार दादरी
11/4/07

अर्चनारानी

अर्चनारानी

सब रजिस्ट्रार दादरी

11/4/07

3

336596

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

हम कि श्रीमती अर्चना रानी पत्नी श्री कन्छिद बंसल जाति वैश्य, निवासी रेलवे रोड, दादरी, परगना व तहसील दादरी, जनपद-गौतमबुद्धनगर। (विक्रेत्री, फरीक अव्वल)।

एवम्

मैसर्स कपिला बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड, 1202 अन्तरिक्ष भवन, 10वां तल, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली 110001 द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी गीता राम त्यागी पुत्र स्व0 श्री दाताराम त्यागी निवासी के0एल0 57 कवि नगर गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) (क्रेता फरीक दोयम)।

अर्चना रानी

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 APR 2007

स्टाम्प नं0 16 रु0 250 मय
लम्बा नं0 14 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

दादरी

INDIA NON JUDICIAL

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

- APR 2007

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

336597

विदित हो कि कृषि भूमिधरी के आकार पत्र 23 के अनुसार चक नं0 106 खेत नं0 446/1 रकबा 1-1-0 पुख्ता व खेत नं0 446/2 रकबा 1-9-0 पुख्ता व खेत नं0 447/1 रकबा 0-10-0 पुख्ता व खेत नं0 447/2 रकबा 4-15-0 पुख्ता व खेत नं0 447/3 रकबा 0-15-0 पुख्ता कुल 5 खेत रकबई 8-10-0 पुख्ता लगानी रूपये 68=65 पैसे सालाना 1/4 भाग सम्पूर्ण अपना बकदर 2-2-10 पुख्ता जिसे मैंने बैनामा द्वारा क्रय किया था, जिसको बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर, जिसका फरीक अव्वल एकमात्र मालिक

अर्चना रानी

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 APR 2007

स्टाम्प नं0 ...17... रू0 ...25/-...

स्टाम्प नं0 ...14... में शामिल किया गया

उप रोकड़िया

25000 रुपये

सत्यमेव जयते

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

5

UTTAR PRADESH

336598

व संक्रमणीय भूमिधर स्वामी है। जोकि आज दिन तक फरीक अव्वल की ओर से हर प्रकार के भार, बंधक आदि से पाक साफ व सुरक्षित है। यानि कि किसी भी स्थान पर आड़, रहन, बय, हिबै, माहदाबय, जमानत आदि से ग्रस्त नहीं है तथा उपरोक्त भूमि की बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद विवाद विचाराधीन नहीं है तथा फरीक अव्वल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति हकदार या हिस्सेदार नहीं है। कोई कारण बाधा का उपरोक्त भूमिधरी भूमि को विक्रय करने में नहीं आता है। अतः फरीक अव्वल ने अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि व स्थिर चित्त की दशा में खूब सोच समझ कर बिना किसी दबाव व

अर्चना रानी

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 APR 2007

स्टाम्प नं0...18...रु0...25/-...मान...
स्टाम्प नं0...14...में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

RUPEES 25000 रुपये भारतीय गैर न्यायिक RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

RUPEES 25000 रुपये पच्चीस हजार रुपये RUPEES 25000 रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 6 336599

बहकाव के उक्त भूमि को सर्व अधिकार सहित आज की बजारू कीमत के बदले अंकन रूपये 30,60,000/- (तीस लाख साठ हजार रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन रूपये 15,30,000/-होते है में इसी समय से हाथ उपरोक्त फरीक दोयम को बेच दी तथा कतई वय कर दी तथा समस्त विक्रीतधन अर्थात भूमि की कुल कीमत निम्नलिखित अनुसार प्राप्त करके बेची भूमि को कब्जे अधिकार अपने से फरीक दोयम में देकर उस पर फरीक दोयम को अपने ही समान मालिकाना मालिक काबिज व दखिल कर दिया है। अब बैय किये पश्चात विक्रीत भूमि के किसी भी अंश से फरीक अव्वल व

अर्चना रानी

कार्यालय उप कोषागार
[illegible]

- 7 APR 2007

स्टाम्प नं0 ...19... रू0 25... [illegible] ...
स्टाम्प नं0 ...14... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

7

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 336600

वारिसान फरीक अव्वल का कोई वास्ता या ताल्लुक किसी भी किस्म का शेष नहीं रहा है तथा ना ही भविष्य में होगा। कब्जा मौके पर फरीक दोयम को बहैसियत मालिक पूर्ण रूप से करा दिया है। अब आज की तारीख से ही फरीक दोयम को सर्वथा हक व अधिकार होगा कि वह खरीदकर्ता कृषि भूमिधरी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग मालिकाना अपने में लाकर चाहे जिस प्रकार से मालिकाना लाभ उठावें। यदि विक्रीत भूमि का कोई अंश किसी भी नुक्श कानूनी कमी आदि के कारण से कब्जे मालिकाना क्रेता फरीक दोयम से निकल जावेगा या कब्जा फरीक दोयम को न मिले या फरीक अव्वल

अर्चना रानी

कार्यालय उप कोषागार
श्रावस्ती

-7 APR 2007

स्टाम्प नं0 20 रु0 25 पैसे.............
स्टाम्प नं0 14 में शामिल किया गया
उप रोकदिया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 8 336601

मालिकाना मालिक हस्ताक्षरकर्ता सिद्ध न हुआ या अन्य किसी कारण से कब्जे मालिकाना फरीक दोयम से कुल या आंशिक रूप से निकल जावेगी तो हर ऐसी दशा में फरीक दोयम को हक होगा कि वह उस समय की बजारू कीमत को जिस प्रकार चाहे बजरिये अदालत फरीक अव्वल व वारसान फरीक अव्वल की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से वसूल कर लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। दाखिल खारिज बेची भूमिधरी का बनाम फरीक दोयम के करा दूँगा या फरीक दोयम इस विक्रय पत्र के आधार पर सरकारी अभिलेखों में अपना नाम स्वयं दर्ज करा लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है तथा आस-पास भी कृषि भूमि है।

अर्चनारानी

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

- 7 APR 2007

स्टाम्प नं0 21 रू0 25 ....

स्टाम्प नं0 14 में शामिल किया गया

उप रोकड़िया

दादरी

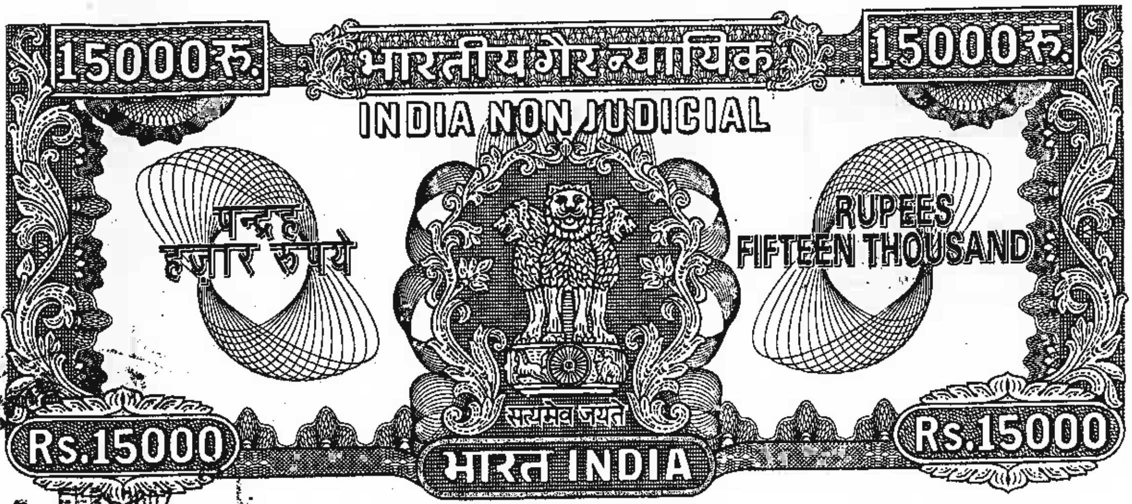

FEB 2007

03BB 183348

<u>विवरण धन अदायगी</u> :- 30,60,000/- रूपये पेशगी फरीक अव्वल (विक्रेता) ने फरीक दोयम (क्रेता) से प्राप्त कर लिये। अब कोई पैसा विक्रेता का क्रेता की ओर बाकी नहीं रहा है।

अर्पना रानी

कार्यालय उप कोषागार
श्रावस्ती

- 7 APR 2007

रसीद सं0 ..22.. रू0 ..150 मात्र..........
स्तम्भ सं0 ...14....... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

सत्यमेव जयते

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 183349

उपरोक्त लिखित दस्तावेज फरीक अव्वल व फरीक दोयम की जानकारी के आधार पर तैयार की गयी। दस्तावेज पर चस्पा फोटो गवाहों के कथन पर सत्यापित है। खेत का फोटो सलंग्न है।

अर्चना रानी

कार्यालय उप कारागार

- 7 APR 2007

स्टाम्प नं0 ...23... रु0 ...15... नाम ....

स्टाम्प नं0 ...14... में शामिल किया गया

उप रोकदिया

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 183350

11

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे। इति।।

अर्चना रानी

गवाह - 1

सन्तराम S सुखवीर
गांव बील अकबरपुर

गवाह - 2 हरिओम

हरिओम पुत्र ओमप्रकाश,
नि० दुगलपुर

11/04/07

तारीख 11-04-2007ई0 मसौदाकर्ता **राधेश्याम अग्रवाल,** बैनामा लेखक, दादरी (गौतमबुद्धनगर) **लाइसेन्स नं0-1**

राधेश्याम अग्रवाल
बैनामा लेखक,
तहसील-दादरी

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-7 APR 2007

स्टाम्प नं0 24 रू0 18000 मान
स्टाम्प नं0 14 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

आज दिनांक 11/4/07 को फोटोस्टेट प्रति पुस्तक संख्या 1 खण्ड संख्या 609 के पृष्ठ 23 44 पर क्रम संख्या 5647 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक
दादरी

दादरी